



नेमी आदेश संख्या - (प्रशासनिक), दिनांक:
ROUTINE ORDER NO. 07 (ADM), DATED 28 APRIL, 2022

1. अधिकारी सर्वेक्षक के पद पे नियमित आधार पर पदोन्नति।
PROMOTION TO THE POST OF OFFICER SURVEYOR ON REGULAR BASIS.

निचे दिए गए सर्वेक्षकों को नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप 'B' राजपत्रित के पद पे पदोन्नत किया जाता है जिसका वेतन-स्तर 8 तथा वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100) होगा, तथा पदोन्नति का प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से प्रभाव में आएगी।

The under mentioned Surveyors is hereby promoted to the post of Officer Surveyor Group 'B' (Gazetted) on regular basis in the Level 8 of Pay Matrix (47,600-1,51,100) with effect from the date as shown against their name.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Promotion	Authorities
1.	Shri Shiv Raj Singh Manwal	11-04-2022	SG's letter No. C-1384/707
2.	Shri Sujit Kumar Mazumdar	01-04-2022	(Coll-78) dated 03-03-2022
3	ShriMakwana Prafullkumar Dineshbhai	25-04-2022	SG's letter No. E.1-1610/579- Rules/LDCE dated 28-03-2022.

उपर दिए गए अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो विकल्प FR.22(1) (a)(1) के अंतर्गत प्रयोग में लायेंगे ताकि उनका वेतन नए स्तर पे निर्धारित किया जा सके।

अपूर्ण कोर्ट केस के परिणाम जिसका उल्लेख किया गया है, उस हरेक अधिकारी से लिया जायेगा तथा उसके सेवापुस्तक में चिपकाया जायेगा।

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2022-23 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officer is required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of his pay in the new scale of Pay.

An undertaking for outcome of pending court case mentioned therein, will be taken from the Officer concerned and pasted in the Service Book.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2022-23 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officer will be fixed by the Head of Office.

2. एम. ए. सी. पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन

GRANT OF 3rd FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या – 35034/3/2008- स्था. (डी.) दिनांक 19-05-2009 (विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग का पत्र सं A-11019/1/2008-सीडीएन दिनांक 08-06-2009 द्वारा प्राप्त) के अनुसार निचे दर्शाए गए मेघालय एवं अरु. प्र. जीडीसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'B' राजपत्रित अधिकारी सर्वेक्षकों को एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन जिसका वेतन स्तर-9 के वेतन मैट्रिक्स (53,100-167,800) होगा, में निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है और ये उन कर्मचारी के नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से प्रभावित होगी।

The under mentioned Group 'B' (Gazetted) Officer Surveyors of Meghalaya & Ar. P. GDC, Survey of India, Shillong are hereby granted 3rd Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the **Level-9 of Pay Matrix (53,100-167,800)** with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. No. 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 (received vide Department of Science & Technology letter No. C-6768/1902-MACP(Genl) dated 04-11-2019).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 3rd Financial Upgradation is admissible
1.	Shri Ranjit Kumar Dutta	Officer Surveyor (Retd)	01-01-2018
2.	Shri Kerious Sohtun	Officer Surveyor (Retd)	01-01-2018
3	Shri Anil Bhandari	Officer Surveyor	01-01-2021

उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नई वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ. आर.22 (1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2022-23 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officers are required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2022-23 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(Authority:- SG's letter No. C-2158/1902-MACP (Megh. & AP GDC) dated 06-04-2022)

3. मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति

PROMOTION TO THE POST OF CHIEF DRAFTSMAN ON REGULAR BASIS

निचे दिए गए मानचित्रकार डिविजन-I को नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) सेवा, के पद पे जिसका वेतन स्तर-7 के वेतन मैट्रिक्स (44,900 रू – 1,42,400रू) होगा, पदोन्नति की जाती है और इसका प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से होगा।

The under mentioned Draftsman Division-I are hereby promoted to the post of Chief Draftsman in the Group 'B' (Gazetted) service on regular basis in the **Level 7 of Pay Matrix (Rs. 44,900- Rs. 1,42,400)** with effect from the date as shown against her name.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Promotion	Name of Office
1.	Smt. Meries Nareen Laloo (ST)	Chief Draftsman	10-03-2022	North Eastern Zone (NEZ), Shillong
2	Shri Sudip Das Purkayastha	Chief Draftsman	21-02-2022	Megh. & Ar. Pradesh GDC
3	Shri Marshal Langstieh	Chief Draftsman	21-02-2022	Megh. & Ar. Pradesh GDC

उपर दिए गए अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो विकल्प एफआर.22(1) (a)(1) के अंतर्गत प्रयोग में लायेंगे ताकि उनका वेतन नए स्तर पे निर्धारित किया जा सके।

पदोन्नति का आदेश डिओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं० 36021/11/2016-स्था०(रेस०1) (पीटी II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 4 के अंतर्गत उल्लेख किए गए निर्देशों के अनुसार है। पैनल की चुनिंदा सूचियां कंटेम्प्ट पिटीशन(सी) सं०30621/2011 (जरनैल सिंह अथवा दूसरे बनाम लछमी नारायण अथवा दूसरे) और एसलपी(सी) सं० 31288/2017 अथवा कोई दूसरा इस मामले से संबन्धित अदालत के मामले के परिणाम के अधीन होंगी।

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2022-23 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officer is required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

The promotion order is according to the instructions mentioned under Para 4 of DoP & T's O.M. No. 36021/11/2016- Estt (Res.1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select lists of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP(C) No. 31288/2017 and any other Court Cases related to this matter.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2022-23 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officer will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार:- भारतीय महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-967/1800(1) दिनांक 18-02-2022
(Authority:- SG's letter No. C-967/1800(1) dated 18-02-2022)

4. मानचित्रकार डिवीजन-I के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति
PROMOTION TO THE POST OF DRAFTSMAN DIV I ON REGULAR BASIS

निचे दिए गए मानचित्रकार डिवीजन-II को मानचित्रकार डिवीजन-I ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) सेवा के पद पे नियमित आधार पर पदोन्नति की जाती है जिसका वेतन स्तर-6 के वेतन मैट्रिक्स (35,400 रू – 1,12,400रू) होगा, और इसका प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से होगा।

The under mentioned Draftsman Gde. II of this GDC is hereby promoted to the post of Draftsman Div I in the Group 'B' (Non-Gazetted) service on regular basis in the **Level 6 of Pay Matrix (Rs. 35,400- Rs. 1,12,400)** with effect from the date as shown against her name.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Promotion
1.	Smt. Betrinda Dkhar (ST)	Draftsman Div. I	16-03-2022

उपर दिए गए अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो विकल्प एफआर.22(1) (a)(1) के अंतर्गत प्रयोग में लायेंगे ताकि उनका वेतन नए स्तर पे निर्धारित किया जा सके।

पदोन्नति का आदेश डिओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं० 36021/11/2016-स्था०(रेस०1) (पीटी II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 4 के अंतर्गत उल्लेख किए गए निर्देशों के अनुसार है। पैनल की चुनिंदा सूचियां कंटेम्प्ट पिटीशन(सी) सं०30621/2011 (जरनैल सिंह अथवा दूसरे बनाम लछमी नारायण अथवा दूसरे) और एसलपी(सी) सं० 31288/2017 अथवा कोई दूसरा इस मामले से संबन्धित अदालत के मामले के परिणाम के अधीन होंगी।

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2022-23 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।

The above officer is required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

The promotion order is according to the instructions mentioned under Para 4 of DoP & T's O.M. No. 36021/11/2016- Estt (Res.1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select lists of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP(C) No. 31288/2017 and any other Court Cases related to this matter.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2022-23 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officer will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार:- भारतीय महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-1087/1800 दिनांक 21.02.2022
(Authority:- SG's letter No. C-1087/1800 dated 21-02-2022)

5. कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति

PROMOTION TO THE POST OF OFFICE SUPERINTENDENT ON REGULAR BASIS

निचे दिए गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांग के ग्रुप-बी (अराजपत्रित) कर्मचारी को कार्यालय अधीक्षक के पद पर जिसका वेतन स्तर-6 के वेतन मैट्रिक्स (35,400 रू – 1,12,400रू) होगा नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जो कि भारत के महासर्वेक्षक द्वारा उनके पत्र संख्या सी-2081/1354(O.S./SGO) दिनांक 01-04-2022 द्वारा अनुमोदित स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगी।

The under mentioned Group 'B' (Non-Gazetted) staff of North Eastern Zone NEZ, Shillong is hereby promoted to post of Office Superintendent in the Level -6 of Pay Matrix (35,400-112,400) with effect from the date of acceptance as approved by the Surveyor General of India vide their letter No. C-2081/1354(O.S./SGO) dated 01-04-2022.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Promotion
1.	Shri Poshanta Mani Singh Khomdram	Office Superintendent	01-04-2022

उपर दिए गए अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो विकल्प एफआर.22(1) (a)(1) के अंतर्गत प्रयोग में लायेंगे ताकि उनका वेतन नए स्तर पे निर्धारित किया जा सके।

पदोन्नति का आदेश डिओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं० 36021/11/2016-स्था०(रेस०1) (पीटी II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 4 के अंतर्गत उल्लेख किए गए निर्देशों के अनुसार है। पैनल की चुनिंदा सूचियां कंटेम्प्ट पिटीशन(सी) सं०30621/2011 (जरनैल सिंह अथवा दूसरे बनाम लछमी नारायण अथवा दूसरे) और एसलपी(सी) सं० 31288/2017 अथवा कोई दूसरा इस मामले से संबन्धित अदालत के मामले के परिणाम के अधीन होंगी।

अतिरिक्त शामिल खर्च को मेघालय एवं अरु प्रदेश जीडीसी, शिलांग के वर्ष 2022-23 के स्वीकृत बजेट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उसे उचित मुख्य खाते में डेबिट किया जाएगा।

उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा

The above officer is required to exercise an option under FR.22(1) (a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

The promotion order is according to the instructions mentioned under Para 4 of DoP & T's O.M. No. 36021/11/2016- Estt (Res.1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select lists of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP(C) No. 31288/2017 and any other Court Cases related to this matter.

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2022-23 and will be debited to the appropriate head of account.

Pay of the above officer will be fixed by the Head of Office.

(प्राधिकार:- भारतीय महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-2081/1354 दिनांक 01-04-2022

(Authority:- SG's letter No. No. C-2081/1354 (O.S./SGO) dated 01-04-2022)

6. सेवा में रहते हुए गृहनगर का परिवर्तन

CHANGE OF HOME TOWN BY THE GOVT. OFFICER WHILE IN SERVICE


श्रीमती आरती जोशी मानचित्रकार डिवीजन-I द्वारा होम टाऊन परिवर्तन को अपर महासर्वेक्षक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईजेड), शिलांग द्वारा उनके पत्र संख्या एनईजेड-213/18-जी-3(पी) दिनांक 14-03-2022 करने का अनुमोदन किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

Change of Home Town in respect of Smt. Arati Joshi, D/Man Div I is approved by the Additional Surveyor General, North Eastern Zone (NEZ), Shillong vide their letter No. NEZ-213/18-G-3(P) dated 14-03-2022 as detailed below:

Existing Home Town declared as per Service Book	New Home Town to be recorded in Service Book
C/O Shivalal Joshi Coal and Fuel Depot Malki, Shillong-793001	S.No. 63/3/1/ Flat No. Q/501, Phase-II, Mayurnagari, Pimple Gurav, Pune-411061 (Maharashtra) (Railway Station- Pune)

यह श्रीमती आरती जोशी, मानचित्रकार डिवीजन-I द्वारा गृह नगर की अंतिम घोषणा है। श्रीमती आरती जोशी को होम टाऊन परिवर्तन सेवानिवृत्त तक अनुमति नहीं दी जाएगी।

This is the final declaration of Home Town by Smt. Arati Joshi, D/Man Div. I and no permission will be granted to Smt. Arati Joshi, D/Man Div. I for change of Home Town till her superannuation.


(कर्नल रंजन नेगी)

निदेशक

मेघालय एव अरुणाचल प्रदेश जीडीसी

Distribution:-

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for information please.
2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for information, please.
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <admn.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please.
5. E.&A.O, Megh. & Ar. P. GDC for information and necessary action, please.
6. File: 37-G-9/14-C-1 (MACP) /4-F-10/18-G-3(P)